खण्ड-13 संख्या-7

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग-1 कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

बुधवार, तिथि 22 अगस्त, 1984।

विषय-सूची।

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर:—	1—9
अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर संख्या—10, 11, एवं 12	
तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या—क—164, 366, 848, 850, 851, 854, 856, 857, 858, 859, एवं 860।	10—24
तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या:—	
परिशिष्ट-1 (प्रश्नों के लिखित उत्तर):—	25—115
दैनिक निबंध	117-118

टिप्पणी:—किन्हो मन्त्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है।

सड़क का निर्माण

1016. श्री नारायण यादव—क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मकवा सांडी पथ मुंगेर जिलान्तर्गत तारापुर प्रखंड में मात्र एक कि० मी० की दूरी पर आशा जोरारी गांव के रास्ते में स्थित है, जहाँ 60 प्रतिशत हरिजन हैं एवं शेष उत्तम जाति के लोग बसे हुए हैं;

(2) यदि उक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त 1 कि० मी० सड़क के पुनर्निर्माण का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

श्री चौधरी मो० सलाहउद्दीन—(1) मकवा सांडी पथ 3 कि० मी० स्वीकृत है जो जोरारी ग्राम के पास से गुजरती है।

(2) इस पथ में एक कि० मी० में प्रीमिक्सींग का कार्य बाकी रह गया है। निधि की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जायगा।

श्रीमती तारामणि का स्थानान्तरण।

1017. श्री लालू प्रसाद यादव—क्या मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि श्रीमती तारामणि देवी, महिला स्वास्थ्य परिदर्शिका, छतरपुर प्रखंड चिकित्सालय (पलामू) में चार वर्षों से पदस्थापित हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि श्रीमती तारामणि देवी अपनी बूढ़ी माँ की देख-रेख के लिए स्थानान्तरण हेतु पिछले एक वर्ष के अन्दर तीन बार उचित माध्यम से आवेदन पत्र दी है, किन्तु उस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार श्रीमती तारामणि का स्थानान्तरण प्रखंड (जहानाबाद) में करना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक नहीं तो क्यों ?

श्री दिलकेश्वर राम—(1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2) उत्तर इस आशय के साथ स्वीकारात्मक है कि जनवरी, 1984 में इनके स्थानान्तरण का आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था। किन्तु स्थानान्तरण के लिए सुनिर्धारित माह मई-जून में स्थापना समिति के विचारोपरांत स्थानान्तरण किया जाना था।

(3) स्थापना समिति के निर्णयानुसार निदेशालय के आदेश सं०-661(6), दिनांक 1 अगस्त, 1984 द्वारा श्रीमती तारामणि देवी को स्थानान्तरित कर उनकी सेवायें सिविल सर्जन, गया के निवटारे पर सौंपी जा चुकी है।

राशि की वसूली।

1021. श्री अजित सरकार—क्या मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत लौकाहा प्रखंड के राजकीय अस्पताल, लौकाहा की महिला कक्ष सेविका श्रीमती गिरिजा देवी नवम्बर, 1982 में सेवा निवृत हुई हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि डा० सुरेन्द्र लाल दास तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, खुटौना, श्री शिव सुन्दर मंडल, लिपिक श्रीमती देवी को अनियमित रूप से मार्च, 1983 तक का वेतन भुगतान किया है जबकि पेंशन की स्वीकृति नवम्बर, 1982 से ही आबटित किया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार इस अनियमित भुगतान की जाँच कराकर दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध कारंवाई करते हुए उक्त राशि की वसुली श्रीमती देवी से शीघ्र करने का बिचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक नहीं, तो क्यों ?

श्री दिलकेश्वर राम—(1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2) एवं (3) उल्लिखित विन्दुओं पर सिविल सर्जन द्वारा जाँच की जा रही है जाँचोपरान्त अभियोग प्रमाणित होने पर आवश्यक कारंवाई की जाएगी।

सड़क का पूर्ण निर्माण।

1022. श्री बृषन पटेल—क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि वैशाली प्रखंड अन्तर्गत बारंग दाउदनगर सड़क 1980-81 में पक्कीकरण हेतु विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया था ;